FORM III
फर्द अहकाम
(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

लक्ष्मीनारायण बनाम तहसीलदार, नीमकाथाना

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र 136 भू.रा.अधि. मु0नं0 592 सन् 2024 जीसीएमएस नं. 2024/1129

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
24 रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से **श्री राजेन्द्र कुमार गोठवाल एडवोकेट** उपस्थित। प्रार्थना पत्र धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन/रजिस्टर्ड सम्मन के तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 06.12.2024 को पेश हो। (मुकेश चौधरी) उपखण्ड अधिकारी नीम का थाना	
6/12 ... हुई। अभिभाषक सघ ने ... ी कार्य का स्थगन कर ... ावली पूर्व आ...शानुसार दिनांक 17/1/25 को पेश हो।	
17/1/25 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सघ ने आज ... कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 8/3/25 को पेश हो।	
25/4/25 पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपस्थित। पत्रावली वास्ते पूर्व आदेशानुसार दिनांक 11/6/25 को पेश हो।	
11/6 पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपस्थित। ... साहब दीगर कार्य मे व्यस्त है। ... ी पुर्व आदेशानुसार दिनाक 28/7/25 ... हों।	
28/7. पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सघ आज ... कार्य का ... रखा है। पत्रावली पूर्व ...शानुसार दिनांक 31/7/25 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Sin Yadav
Date: 2025.08.19 17:03:53 IST
Reason: SelfAttested

31/7/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार नीमकाथाना से प्रकरण में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल मिसल की गई। प्रकरण में बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने मुताबिक अनुतोष प्रार्थना पत्र अं. धारा 136 एलआर एक्ट स्वीकार फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, संलग्न दस्तावेजात एवं तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थी की बहस पर सगौर मनन किया गया। चूंकि मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट जमाबन्दी संवत 2038 से 41 में प्रार्थी के पिता गोविन्दा पुत्र रूपा की विरासत दर्ज करते समय प्रार्थी का नाम भागीरथ पु0 गोविन्दा दर्ज हुआ था, जो नवीन मिसल बन्दोबस्त सं. 2065–85 में सही सही दर्ज चला आ रहा था। संवत 2070–73 की जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम भागीरथ पु0 गोविन्दा के स्थान पर भागीरथ पु0 माला दर्ज हो गया जो वर्तमान जमाबन्दी में भी चला आ रहा हैं। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर पत्रावली में आदेश इस आशय का जारी किया जाता हैं कि :–

आदेश

तन ग्राम छापर पटवार हल्का बासड़ीखुर्द तहसील नीमकाथाना अवस्थित ख.नं. 25 रकबा 1.26 है0 में प्रार्थी के पिता का गलत दर्ज नाम ''भागीरथ पुत्र माला'' के स्थान पर सही एवं वास्तविक जाति ''भागीरथ पुत्र गोविन्दा'' दुरूस्त किया जाता हैं। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार नीमकाथाना को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer S
Yadav
Date: 2025.08.19 17:03:53 I
Reason: SelfAttested

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना